

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/648
दिनांक : 15/05/2023

सेवा में,
सचिव/प्राचार्य,
मंगलमय इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टेक्नोलॉजी,
ग्रेटर नोएडा।
महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 22.02.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपने महाविद्यालय/संस्थान में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित बी0काम0 पाठ्यक्रम में चयन समिति द्वारा चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर अनुमोदन प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

<u>S.N.</u>	<u>Name</u>	<u>Design</u>	<u>Qualification</u>	<u>Univ. Expert</u>
1-	Dr. Meenakshi Gautam	Asst. Prof.	M.Com. Ph.D.	Dr. Man Meet Kumar Siras MMH Colege, GZB Dr. (Smt.) Anju Rani RSS College, Pilkhuwa
2-	Dr. Raj Kumar	Asst. Prof.	M.Com. Ph.D.	----- do -----
3-	Mr. Vibhanshu	Asst. Prof.	M.Com. NET	----- do -----
4-	Ms. Manisha Sharma	Asst. Prof.	M.Com. NET	----- do -----
5-	Ms. Neha Dhingra	Asst. Prof.	M.Com. NET	----- do -----
6-	Dr. Aaisha Khatoon	Asst. Prof.	M.Com. NET, Ph.D	----- do -----

माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित बी0काम0 पाठ्यक्रम में उपरोक्त अभ्यर्थियों को असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर शासन/यू0जी0सी0/नियामक संस्था के मानकानुसार अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति महाविद्यालय में उपरोक्त पाठ्यक्रम के संचालन रहने तक उपरोक्त शिक्षकों की सेवाये संतोषजनक रहने तक, यथावत रहेगी। शिक्षकों की शिक्षण गुणवत्ता का निर्धारण करने के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया निरन्तरता से अपनाया आवश्यक है। असन्तोषजनक सेवा होने की स्थिति में सेवा सम्बन्धी संविदा का विखण्डन करने से पूर्व नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए विश्वविद्यालय के मा0 कुलपति का अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि चयनित शिक्षक की मृत्यु/त्यागपत्र की दशा में विलम्बतम 15 दिवसों में विश्वविद्यालय को अवगत कराया जाएगा तथा रिक्त स्थान की आपूर्ति के लिए तुरन्त चयन प्रक्रिया प्रारम्भ करेगे। चयनित अभ्यर्थी केवल एक ही संस्थान में कार्यरत रहेंगे। चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति प्रमाण पत्र तथा संस्थान में कार्यभार ग्रहण करने सम्बन्धी अभिलेख विश्वविद्यालय को पत्र प्राप्ति के 10 दिवसों में उपलब्ध कराये जाएगे। चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेखों में यदि कोई अनियमितता पायी जाती है तो उसके विरुद्ध विश्वविद्यालय नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

भवदीय

कार्या0 अधीक्षक (सम्बद्धता)

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/2292
दिनांक : 6.8.2018

सेवा में,
सचिव,
मंगलमय इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टेक्नोलॉजी,
ग्रेटर नोएडा।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 16.07.2018 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उन्होंने संस्थान में संचालित बी0काम0 पाठ्यक्रम में चयन समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थी को असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर तीन वर्ष हेतु अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत है :-

<u>S.N.</u>	<u>Name</u>	<u>Design</u>	<u>Qualification</u>	<u>Univ. Expert</u>
1-	Dr. Kamal Agarwal	Asst. Prof.	M.Com. MBA, Ph.D. (12)	Dr. Sant Ram Meerut College, Meerut Dr. Pradeep Garg MM Collegé, Modinagar
2-	Dr. Sadhana Sargam	Asst. Prof.	M.Com., MBA, Ph.D. (17)	----- do -----
3-	Amit Mathur	Asst. Prof.	MBA, M.Com. NET (17)	----- do -----
4-	Gangandeeep Singh	Asst. Prof.	M.Com., NET. (17)	----- do -----
5-	Dr. Nidhi Bansal	Asst. Prof.	M.Com., Ph.D. (03)	----- do -----
6-	Pankaj Kumar	Asst. Prof.	M.Com., MBA, NET(12)	----- do -----
7-	Dr. Sadhana Gupta	Asst. Prof.	M.Com., Ph.D. (08)	----- do -----

माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित बी0काम0 पाठ्यक्रम में उपरोक्त अभ्यर्थी को असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर शासन / यू0जी0सी0 / एन0सी0टी0ई0 / बी0सी0आई0 / एम0सी0आई0 / एन0सी0आई0 / सी0सी0आई0एम0 / ए0आई0सी0टी0 के मानकानुसार क्रम संख्या 1 व 2 पर अंकित अभ्यर्थी को एक वर्ष हेतु औपबन्धिक रूप से तथा शेष को तीन वर्ष हेतु अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित शिक्षक की मृत्यु/त्यागपत्र/निष्कासन की दशा में विलम्बतम 15 दिनों में विश्वविद्यालय को सूचित किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त संस्थान को यह भी निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त चयनित अभ्यर्थी केवल एक ही संस्थान में कार्यरत रहेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के सम्बन्ध में अद्यतन शासनादेशों के प्राविधानों के अनुपालन का उत्तर दायित्व संस्थान/महाविद्यालय का होगा। चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर के अभिलेखों में यदि कोई अनियमितता पायी जाती है तो उसके विरुद्ध विश्वविद्यालय नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

भवदीय

सहा0 कुलसचिव (सम्बद्धता)
कृते कुलसचिव

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/11
दिनांक : 01.04.2021

सेवा में,
सचिव,
मंगलमय इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टेक्नोलॉजी,
ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 05.03.2021 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उन्होंने संस्थान में स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रम में चयन समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थी को प्राचार्य पद पर अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत है :-

S.N. Name Design
1- Dr. Manoj Kumar Singh Principal

Qualification
M.Sc., M.Ed., Ph.D.

Univ. Expert
Prof. Jagbir Singh
CCS University, Meerut
Prof. Dinesh Kumar
CCS University, Meerut
Dr. Seema Jain
J.K.P. MZN

माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रम में उपरोक्त अभ्यर्थी को प्राचार्य पद पर शासन/ यू0जी0सी0/ एन0सी0टी0ई0/ बी0सी0आई0/ एम0सी0आई0/ एन0सी0आई0/ सी0सी0आई0एम0/ ए0आई0सी0टी0 के मानकानुसार पाँच वर्ष हेतु अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित शिक्षक की मृत्यु/त्यागपत्र/निष्कासन की दशा में विलम्बतम 15 दिनों में विश्वविद्यालय को सूचित किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त संस्थान को यह भी निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त चयनित अभ्यर्थी केवल एक ही संस्थान में कार्यरत रहेंगे प्राचार्य के सम्बन्ध में अद्यतन शासनादेशों के प्राविधानों के अनुपालन का उत्तर दायित्व संस्थान/महाविद्यालय का होगा। चयनित प्राचार्य के अभिलेखों में यदि कोई अनियमितता पायी जाती है तो उसके विरुद्ध विश्वविद्यालय नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

भवदीय

सहा0 कुलसचिव (सम्बद्धता)
कृते कुलसचिव